संख्या-18/2018/495/क0नि0प्र0/26-3-2018-15(38)/2015

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊः दिनांकः 28 मार्च,2018
समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु रू0 239.50 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या-16/2018/484/ क0नि0प्र0/26-3-2018-15(38)/2015 दिनांक 28 मार्च,2018 के प्रस्तर-1 के विवरण में अंकित जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कालम-2 में उल्लिखित विकास खण्ड मिठवल के सम्मुख कालम-3 में रिक्त स्थान पर ग्राम का नाम "घुमची" पढ़ा एवं समझा जाय।

2- उक्त शासनादेश संख्या-16/2018/484/क0नि0प्र0/26-3-2018-15(38)/ 2015 दिनांक 28 मार्च,2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा एवं प□ा जाय तथा शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2018 की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या- 18/2018/495(1)/क0नि0प्र0/26-3-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- जिलाधिकारी, बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा अम्बेडकर नगर।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा अम्बेडकर नगर

4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा अम्बेडकर नगर।

6- अधिशासी अभियन्ता,यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा अम्बेडकर नगर।

7- प्रबन्ध निदेशक,यू.पी.स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको), लखनऊ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।

9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in